

## राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

## आवेदन संख्या / दिनांक

एपीएल / स्टेट बीपीएल / बीपीएल / अन्योदय राशन कार्ड में जारी यनिटों में संशोधन, पता परिवर्तन एवं ड्लिनीकेट राशन कार्ड बनाये जाने का आवेदन फार्म

1. सामान्य विवरण – ‘\*’ चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है।

राशन कार्ड संख्या (12 डिजिट)							
राशन कार्ड में दर्ज मुखिया का नाम							
मुखिया के पिता का नाम			माता का नाम				
मोबाइल नम्बर							
ई-मेल पता							
राशन कार्ड में दर्ज पता	मकान नम्बर/मकान का नाम		मौहल्ला/कॉलोनी/लैंड मार्क/लोकैलिटी				
*पंचायत समिति: (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)	*ग्राम पंचायत : (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)		*ग्राम/वार्ड सं. : (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)				आवेदक के हस्ताक्षर
*नगर निगम/नगरपालिका/परिषदः (केवल शहरी क्षेत्र हेतु लागू)	*नगर निगम/नगर परिषद/परिषद का वार्ड नं. (केवल शहरी क्षेत्र हेतु लागू)		*जिला : पिणकोड				

2. मेरा उक्त राशनकार्ड उचित मूल्य दुकान सं.....नाम दुकानदार.....का था जो विरुपित हो/गुम/फट गया है। अतः ऊपरीकेट जारी करें। खोये हुए राशन कार्ड की फोटो प्रति/कटा-फटा राशन कार्ड संलग्न है। खोया हुआ राशन कार्ड मिलने पर मैं उसका दुरुपयोग नहीं करूँगा/करसंगी। मैंने राशन कार्ड खोने की सूचना भी सम्बन्धित उचित मूल्य दुकानदार को दे दी है।

3. मैं निवास स्थान बदलने के कारण राशन कार्ड में दर्ज पता परिवर्तित होता/आवेदन करता/करती हूँ। कपया निम्नानुसार मेरे राशन कार्ड में दर्ज पता परिवर्तित करें—

राशन कार्ड में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में नया पता :*!* चिह्नित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है।	मकान नम्बर / मकान का नाम	मौहल्ला / कॉलोनी / लैंड मार्क / लोकैलिटी
*पंचायत समिति : (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)	*ग्राम पंचायत : (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)	*ग्राम / वार्ड सं. : (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)
*नगर निगम / नगरपालिका / परिषद : (केवल शहरी क्षेत्र हेतु लागू)	*नगर निगम / नगर परिषद / परिषद का वार्ड नं.: (केवल शहरी क्षेत्र हेतु लागू)	*जिला : पिनकोड़
बिंदू 3 में जिस मकान का पता दिया है वह मेरी निजी सम्पत्ति / कच्ची बस्ती सर्वे यक्त सम्पत्ति है / मैं किराये के मकान में निवास करता / करती हूँ।		

या राजस्थान राज्य से बाहर निवास करने के कारण समर्पण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करता / करती है।

1. ऐसा किया जाएँगे कि उन्हें एक विशेष विकल्प मिल जाएगा।

4. नानिमाकृति नामा का साम्बालता करने के लिए आवदन करता/करता हूँ

नोट- '\*' चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने पर क्रम सं. 4 से आगे की सूचना अलग पृष्ठ पर पते के साथ देवें।

5. मैं निम्नांकित नामों को मेरे परिवार राशन कार्ड से घटाने/समर्पण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करता/करती हूँ

क्र. सं.	नाम*	लिंग M/F/Other	मुख्या से संबंध*	घटाने का कारण	समर्पण प्रमाण—पत्र कहाँ के लिए जारी करना है
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

नोट- \*\* चिन्हित सच्चाना आवश्यक रूप से भरी जानी है। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने पर क्रम सं. 6 से आगे की सच्चाना अलग पृष्ठ पर पढ़े के साथ दें।

**6. राशन कार्ड की विशिष्टियों की त्रुटियों में परिवर्धन/संशोधन :-** उदाहरणार्थ वर्तनी शुद्धि, पिता/माता का नाम, पता, गैस कनेक्शन सम्बन्धी विशिष्टियां, आयकरदाता सम्बन्धी प्रविष्टियां, उचित मूल्य दुकान विवरण की विशिष्टियां, राशनकार्ड में दर्ज परिवार के सदस्यों के नाम, आयु, जन्म दिनांक व मुखिया से सम्बन्ध में संशोधन करवाने के लिए जारी मूल राशनकार्ड में अशुद्धि/वांछित परिवर्धन योग्य विशिष्टि पर आवेदक द्वारा गोला कर सही विशिष्टि स्वयं के हस्ताक्षर से अंकित की जावे तथा मूल राशनकार्ड आवेदन फार्म के साथ सलग्न किया जावे। यदि त्रुटि आवेदक के मूल फार्म में भरी गयी सूचना से मिलान करती है तो आवेदक को परिवर्धन एवं संशोधन के सम्बन्ध में दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

#### परिवर्धन/संशोधन का संक्षिप्त विवरण -

##### 7. घोषणायें :-

**नोट -** घोषणा का जो बिन्दु लागू नहीं हो उसे काट देवें।

- (क) मेरा आयकर विभाग का पेन क्रमांक ..... है। मेरे राशन कार्ड में "मैं आयकर दाता हूँ/नहीं हूँ" अंकित है जिसके स्थान पर ..... लिखा जावे क्योंकि मैं आयकर दाता हूँ/नहीं हूँ।
- (ख) मेरे राशन कार्ड में गैस कनेक्शन नं..... गैस एजेन्टी..... डीबीसी/एसबीसी अंकित है जिसके स्थान पर गैस कनेक्शन नं..... गैस एजेन्टी..... डीबीसी/एसबीसी अंकित है किया जावे या मेरे पास गैस कनेक्शन नहीं है अतः मेरे राशन कार्ड में गैस कनेक्शन सम्बन्धित प्रविष्टी हटाई जावे।
- (ग) मेरा नाम बीपीएल/स्टेट बीपीएल चयन सूची वर्ष..... क्रमांक..... वार्ड..... में/अन्योदय सूची वर्ष..... क्रमांक..... वार्ड..... में है किन्तु मुझे ..... श्रेणी का राशन कार्ड जारी कर दिया है अतः राशन कार्ड संलग्न कर निवेदन है कि मुझे ..... श्रेणी का राशन कार्ड जारी किया जावे।
- (घ) इस प्रपत्र के बिन्दु 4 में वर्णित सदस्यों का नाम पहले से किसी भी अन्य प्रचलित राशनकार्ड में नहीं है और ना ही इस हेतु पहले कहीं आवेदन किया गया है। न ही कोई सदस्य सेना से राशन लेता है।
- (ङ) इस प्रपत्र के बिन्दु 3 में जिस मकान का पता दिया है वह मेरी निजी सम्पत्ति है/मैं किराये के मकान में निवास करता हूँ।
- (च) इस प्रपत्र के बिन्दु 5 में श्री/श्रीमती/सुश्री..... का नाम विवाह/मृत्यु/तलाक/परित्यक्ता/स्थानान्तरण/अलग निवास/अलग रसोई होने के कारण घटाने के लिए आवेदन किया गया है। श्री/श्रीमती..... रिश्ते में मेरे/मेरी (मृतक से सम्बन्ध) हैं, इनकी मृत्यु के बाद मैं ही घर में वरिष्ठ सदस्य हूँ इनके राशन कार्ड में मेरा नाम दर्ज है, अतः इनका नाम विलोपित करते हुए मेरे नाम से परिवार मुखिया के रूप में परिवर्धित राशन कार्ड जारी करें।
- (छ) इस प्रपत्र के बिन्दु 6 के क्रम में मेरे द्वारा मूल राशन कार्ड में मेरे द्वारा अशुद्धि/वांछित परिवर्धनीय विशिष्टि पर गोला कर शुद्ध वर्तनी/परिवर्तित विशिष्टि अंकित की गयी है जिसे मेरे राशन कार्ड में शुद्ध किया जावे।
- (ज) मैं और मेरा परिवार राशन कार्ड का उपयोग राशन वस्तुएं प्राप्त करने के अलावा किसी अन्य कार्य हेतु नहीं करेगा।
- (झ) मुझे पता है कि राशनकार्ड सरकार की सम्पत्ति है। इसे जब भी सक्षम अधिकारी प्रस्तुत करने को कहेंगे मैं प्रस्तुत कर दूंगा। तथ्यों की जांच कभी भी की जा सकती है। गलत सूचना पाये जाने पर मेरा राशनकार्ड निरस्त किया जा सकता है तथा कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
- (ञ) इस प्रपत्र के बिन्दु 1 से 7 में दी गई समस्त जानकारी सत्य है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

**स्थान :** .....

**दिनांक :** .....

हस्ताक्षर आवेदक

#### सत्यापन

इस प्रपत्र के बिन्दु 3 में दिए गए मकान के पते पर श्री/श्रीमती/सुश्री..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... परिवार सहित अवधि..... से निवास कर रहे हैं। यह मकान मेरी निजी सम्पत्ति है। (बिन्दु 3 लागू होने पर ही सत्यापन कराया जाना है)

#### हस्ताक्षर मकान मालिक

##### कार्यालय/कियोस्क द्वारा कार्यवाही

##### चैक लिस्ट

- क्या आवेदक द्वारा आवेदन फार्म पूर्ण रूप से भरा हुआ स्वयं के फोटो सहित मय हस्ताक्षर एवं मकान मालिक के हस्ताक्षर करा कर प्रस्तुत किया है? हॉ/नहीं
- संलग्न दस्तावेजों का विवरण : (सभी संलग्नक आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित किये जाने आवश्यक हैं)
- पूर्व राशन कार्ड निरस्तीकरण बाबत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल समर्पण प्रमाण-पत्र। हॉ/नहीं
  - निवास बाबत प्रमाण यथा बिजली/पानी बिल, नगर निकाय की गृहकर रसीद, वोटर पहचान पत्र की फोटो प्रति। हॉ/नहीं
  - नवविवाहिता का नाम दर्ज कराने हेतु पिटा के राशनकार्ड से नाम कम कराने/शादी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति। हॉ/नहीं
  - बच्चे का नाम दर्ज कराने हेतु नगर निगम/नगरपालिका/पंचायत से जारी जन्म प्रमाण पत्र या बच्चा गोद लेने के सर्टिफिकेट की प्रति। हॉ/नहीं
  - डुप्लिकेट राशनकार्ड हेतु पूर्व प्रचलित कार्ड की फोटो प्रति/शपथ पत्र या कटा/फटा/विरूपित राशनकार्ड। हॉ/नहीं
  - मूल राशन कार्ड। हॉ/नहीं
  - उम्र में परिवर्तन कराने हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा शिक्षा प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति। हॉ/नहीं
  - नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण-पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र/तलाकनामे की स्वप्रमाणित प्रति/परित्यक्ता का स्वप्रमाणित शपथ-पत्र। हॉ/नहीं
  - नाम में परिवर्तन हेतु प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित शपथ-पत्र अथवा राजकीय मुद्रणालय से जारी गजट की स्वप्रमाणित फोटो प्रति। हॉ/नहीं
  - स्वप्रमाणित शपथ-पत्र। हॉ/नहीं
  - नाम जुड़वाने के लिए समर्पण प्रमाण-पत्र। हॉ/नहीं
  - अन्य..... हॉ/नहीं

संलग्नकों की कुल पेज संख्या .....

हस्ताक्षर लिपिक/कियोस्क धारी  
कियोस्क की मोहर